

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार गीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 03/2021

दायर दिनांक 11.01.2021

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर

- वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र नारायण जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
2. बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
3. भगवतीबाई पुत्री नारायण पत्नि मनोहर जाति मेहर नि. भुमाडा तह.बकानी
4. रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
5. सुरेश पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तहसील सुसनेर म.प्र.
6. साँवरिया पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तह. सुसनेर म.प्र.
7. व्यवस्थापक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91, 53, 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण -

अभिभाषक वादी - श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2, 5 - श्री ईश्वरसिंह

प्रतिवादी सं. 3 से 7 - एकतरफा




निर्णय

दिनांक 09.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 91, 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 195 की आराजी ख.नं 612 रकबा 1.4038 हे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में



  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काप्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/752 दिनांक 17.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 195 की आराजी ख.नं 612 रकबा 1.4038 हे. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली रहन ICICI झालवाड	612/1	0.2339	माल अलीफ
2	रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली	612/2	0.2286	माल अलीफ
3	घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/3 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/9 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/3 जाति मेहर नि. परासली	612/3	0.4572	माल अलीफ
4	वदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली रहन विजया बैंक झालरापाटन	612/4	0.4572	माल अलीफ
5	रामचन्द्र पि. बाला हि. 1/5 वदरी पुत्र शंकर हि. 2/5 रहन विजया बैंक झालरापाटन घनश्याम पुत्र नारायण हि. 2/15 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 2/45 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 2/45 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 2/45 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 2/15 जाति मेहर नि. परासली	612/5	0.0269	गे.मु.रास्ता




Up  
उपखण्ड अधिकारी  
पिड़वा, जिला झालवाड (राज०)

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।  
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



  
09/7/25  
(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज0  
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या ०३/२०२१

दायर दिनांक ११.०१.२०२१

उनवान

१. लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

१. घनश्याम पुत्र नारायण जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
२. बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
३. भगवतीबाई पुत्री नारायण पत्नि मनोहर जाति मेहर नि. भुमाडा तह.बकानी
४. रामचन्दर पि. बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
५. सुरेश पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तहसील सुसनेर म.प्र.
६. साँवरिया पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तह. सुसनेर म.प्र.
७. व्यवस्थापक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड
८. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा ९१, ५३, ८८, २०९ रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक प्रतिवादी सं. १, २ – श्री ईश्वरसिंह

प्रतिवादी सं. ३ से ७ – एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्ली दिनांक ०२.०६.२०२५ अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत २०७३–२०७६ के खाता संख्या १९५ की आराजी ख.नं ६१२ रकबा १.४०३८ हे. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

(राज.)



क्र.	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा है.	किस्म
1	लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली रहन ICICI झालवाड	612/1	0.2339	माल अलीफ
2	रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली	612/2	0.2286	माल अलीफ
3	घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/3 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/9 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/3 जाति मेहर नि. परासली	612/3	0.4572	माल अलीफ
4	बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली रहन विजया बैंक झालरापाटन	612/4	0.4572	माल अलीफ
5	रामचन्द्र पि. बाला हि. 1/5 बदरी पुत्र शंकर हि. 2/5 रहन विजया बैंक झालरापाटन घनश्याम पुत्र नारायण हि. 2/15 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 2/45 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 2/45 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 2/45 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 2/15 जाति मेहर नि. परासली	612/5	0.0269	गे.मु.रास्ता

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

*[Signature]*  
09/07/25  
(दिनेश कुमार शर्मा, आर.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा (राज.)  
जिला झालावाड राज0

निज .....X.....मुबालिक.....X.....बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .....  
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X.....अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक 09.07.2025 को जारी किया गया।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा  
जिला झालावाड राज0/राज0  
मुहूर्त

मुदई		मुहूर्त	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा  
जिला झालावाड राज0/राज0  
पिड़ावा, जिला झालावाड राज0

